न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :–एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :– 169/2017 **(Rcms no. 2017/00231)**

उनवानी प्रकरण :–

1. चौथीलाल पुत्र रामचरन जाति काछी निवासी फौंदा का चौक सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर ——————————————————अपीलान्ट।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा जिला धौलपुर ——— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.10.2017 तहसीलदार सरमथुरा प्र. स. 49/2017 उनवानी राज0 सरकार बनाम चौथीलाल अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री किशोरीलाल जाटव अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय दिनांक :–04.06.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार सरमथुरा के निर्णय दिनांक 26.10.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश सारहीन एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत मात्र कयास के आधार पर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई सम्मन जारी नहीं किया गया है, ना ही उसके घर पर नोटिस की चस्पादंगी ही कराई गई। सम्पूर्ण कार्यवाहियॉं पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं तामील कुनिन्दा की तामीली रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 727 रकवा 27 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर पर पक्का निर्माण कुर्सी भरी व अनाधिकृत कब्जा कर अतिकमण होना जाहिर किया है उसकी जॉंच ना तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर जाकर की है ना ही उसकी समुचित रूप से अपने स्तर पर जॉंच कराई गई और ना ही अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गये नोटिस की प्रोपर तामील ही हुई। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट व बयान के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि संगत नहीं है। अपीलालन्ट के हक में ग्राम पंचायत सरमथुरा द्वारा दिनांक 20.6.2006 को एक आवासीय भूखण्ड आवटंन हुआ था उसी भूखण्ड की कुर्सी नींव भरी थी। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

727 के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलान्ट को कभी नहीं रही है। जानकारी दिनांक से बिना देरी अपील पेश की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में पटवारी हल्का द्वारा की गई धारा 91 की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 26.10.2017 की प्रतिलिपि ग्राम पंचायत सरमथुरा द्वारा जारी पट्टा की प्रतिलिपि, आधार कार्ड की प्रतिलिपि पेश की।

प्रकरण में तहसीलदार सरमथुरा से यह रिपोर्ट चाही गई कि अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूखण्ड पट्टा की छाया प्रति प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि को आवटंन होना बताया है। प्रकरण में प्रस्तुत पट्टा विलेख की प्रति पर दर्शित नक्शा भूखण्ड किस खसरा नम्बर का है स्पष्ट तौर पर अंकित नही है अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड पट्टा विलेख में अकिंत नक्शा अनुसार यह भूखण्ड किस खसरा नम्बर का है। इस पर तहसीलदार सरमथुरा ने अपने पत्र दिनांक 372 दिनांक 18.3.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत सरमथुरा द्वारा जारी भूखण्ड पट्टा विलेख में नक्शा अनुसार वह भूखण्ड आराजी खसरा नम्बर 727 रकवा 0.27 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम सरमथुरा खातेदार मिलिकियत सरकार में है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2018 को तहसीलदार सरमथुरा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.03.2018 का हवाला देते हुए तहसीलदार बसेडी से यह रिपोर्ट प्राप्त की गई कि अपीलान्ट को ग्राम पंचायत द्वारा आवटिंत पट्टा किस खसरा नम्बर में से दिया गया है एवं पट्टा में अंकित नक्शा के चारो ओर हक – हकूक क्या है। जिस खसरा नम्बर में से पट्टा विलेख दिया है उसकी राजस्व रिकोर्ड में वस्तुस्थिति क्या है। इस पर तहसीलदार सरमथुरा ने अपने पत्र कंमांक 727 दिनांक 24.5.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड पट्टा की मौके की जॉच पटवारी हल्का से करवाई गई उक्त भूखण्ड का पट्टा जो दिया गया है उसके पूर्व दिशा में गुड्डी पत्नी राम सिंह व चौथीलाल का प्लाट है पश्चिम में खाली जगह है, जो खसरा नम्बर 727 रकवा 0.27 हैक्टेयर में है जो कि सिवाचयक है। उत्तर दिशा में एन. एच. 11 बी की सडक है तथा दक्षिण में रामजीलाल चौथीलाल वगैरा की खातेदारी है उक्त पट्टा खसरा नम्बर 727 रकवा 0.27 हैक्टेयर में है जो कि मिलकियत सरकार लगानी है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अकिंत तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय

(नन्दलाल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

द्वारा अपीलान्ट को कोई सम्मन जारी नही किया गया है, ना ही उसके घर पर नोटिस की चस्पादंगी ही कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 727 रकवचा 0.27 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर पर पक्की निर्माण कुर्सी भरी व अनाधिकृत कब्जा कर अतिकमण होना जाहिर किया है उसकी जॉच ना तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर जाकर की है ना ही उसकी समुचित रूप से कोई अपने स्तर पर जॉच कराई गई और ना ही अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गये नोटिस की प्रोपर तामील ही हुई। मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट व बयान के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि संगत नही है। अपीलालन्ट के हक में ग्राम पंचायत सरमथुरा द्वारा दिनांक 20.6.2006 को एक आवासीय भूखण्ड आवटंन हुआ था उसी भूखण्ड की कुर्सी नीवं भरी थी। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 727 के किसी भी भाग पर कब्जा नही किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलान्ट को कभी नहीं रही है। जानकारी दिनांक से बिना देरी अपील पेश की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 निरस्त किया जावे ।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं पटवारी की दैनिक डायरी से होती है जिसमें दिनांक 4.7.2016 को अपीलान्ट को बेदखल किया गया है। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील नही हुई क्योंकि तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस की एक प्रति अपीलान्ट को दी किन्तु नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्ट ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नही होता अपीलान्ट पर नोटिस दो बार तामील हुआ इसके बावजूद अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नही हुआ। तहसीलदार सरमथुरा से भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.3.2018 व 24.5.2018 के द्वारा भी मौके की जॉच कर यह पाया है कि अपीलान्ट का भूखण्ड खसरा नम्बर 727 रकवा 0.27 हैक्टेयर में हैं जो मिलकियत सरकार है। उक्त रिपोर्टो से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने सरकारी जमीन में निर्माण कर अतिकमण किया है। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक यह सिद्ध नहीं कर पाये है कि ग्राम पंचायत सरमथुरा द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह आवादी भूमि है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 यथावत रखा जावे ।

दोनों पक्षो के विद्धान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि :–

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का के बयान रिपोर्ट एवं दैनिक डायरी दिनांक 04.07.2016 से होती है ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राजस्थान)

2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नही हुई है। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार दो बार नोटिस की एक प्रति अपीलान्ट ने प्राप्त तो कर ली लेकिन नोटिस प्राप्ति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। तामील कुनिन्दा के इस कथन को असत्य साबित करने का कोई आधार अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने नही बतलाया ।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नही होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस तथ्य के सम्बन्ध में अपीलान्ट बावजूद तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये, तो सुनवाई का अवसर कैसे दिया जा सकता था ।
4. तहसीलदार सरमथुरा से भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.3.2018 व 24.5.2018 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का भूखण्ड खसरा नम्बर 727 रकवा 0.27 हैक्टेयर में हैं, जो मिलकियत सरकार है। इस प्रकार अपीलान्ट ने सरकारी जमीन में निर्माण कर अतिक्रमण किया है ।
5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि ग्राम पंचायत सरमथुरा द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह आवादी भूमि है ।
6. श्री केदार तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सरमथुरा व तत्कालीन सचिव द्वारा अपीलान्ट को सिवायचक भूमि में पट्टा जारी किया गया है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार दिनांक 20.07.2006 को कार्यरत सरपंच श्री केदार एंव तत्कालीन सचिव द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 यथावत रखा जाता है। तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् धौलपुर को निर्णय की प्रति भेजते हुए निर्देश दिये जाते है कि वह श्री केदार तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सरमथुरा एंव तत्कालीन सचिव के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को मूल पत्रावली के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.6.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

([illegible])
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर